पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 149/2025

अनवान :

1. डा. सुभाषचन्द्र मिश्रा पुत्र श्री रामस्वरूप मिश्रा जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई हाल सैक्टर नं0 5 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। :– **वादी**

ब ना म

1. अनिल कुमार मिश्रा पुत्र परसाराम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा।
2. चन्द्र शेखर मिश्रा पुत्र परसाराम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा।
3. बृजप्रकाश शर्मा पुत्र परसाराम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा।
4. शारदा शर्मा पत्नी परसाराम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किशनलाल यादव एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जयकिशन गौदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं 199/199 के खसरा सं0 412 की 0.5310 है0, खसरा सं0 543 की 2.189 है0, खसरा सं0 543/1 की 1.0350 है0 कुल खसरा 3 की कुल 3.755 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर 1/4–1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी डा. सुभाष चन्द्र मिश्रा को 1/2 हिस्सा का तथा शेष 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.05.2026...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(निधि उड़सरिया)R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़